बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0-प्र07 विविध-14/2013-3614 खाद्य, पटना/दिनांक- 25-07-17

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-29 एवं लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका-7(4) तथा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के आलोक में लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में, कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन के संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन निम्नलिखित सतर्कता समितियों (Vigilance Committees) का गठन स्थायी रूप से तुरंत के प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों से मिलाकर करते हैं जो स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों का सम्यक प्रतिनिधित्व देते हुए राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायेंगे । राज्य स्तरीय सतर्कता समिति, जिला स्तरीय सतर्कता समिति, प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति, शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों में मनोनित सदस्यों के मनोनयन नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त समितियाँ कार्यरत रहेगी एवं यथाप्रावधानित कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे । समितियों में किसी प्रकार की मनोनीत सदस्यों की रिक्ति या पदेन सदस्यों के अनुपस्थिति में समितियों के कार्यरत रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति, प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति के मनोनित सदस्य राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे । तदनुसार पूर्व से अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति को छोड़कर शेष सभी निगरानी/अनुश्रवण समिति को निरसित किया गया । नवगठित समितियाँ निम्न प्रकार होगी :-

2\. क. <u>राज्य स्तरीय सतर्कता समिति</u>

(i)	मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	अध्यक्ष
(ii)	राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष तथा सभी सदस्य	-	सदस्य
(iii)	मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
(iv)	मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग	-	सदस्य
(v)	मंत्री, पंचायती राज विभाग	-	सदस्य
(vi)	मंत्री, सहकारिता विभाग	-	सदस्य
(vii)	मंत्री, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	-	सदस्य